

फर्द अहकाम

मय 34/10/16 मुकाम राजपुरा
इलाहाबाद बनाम श्री केशव प्रसाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो जारी हुआ
<p>34/10/16</p> <p>25/11/16</p>	<p>श्री केशव प्रसाद व श्री केशव प्रसाद द्वारा दायर की गई याचिका में उक्त याचिका को खारिज करने का हुक्म जारी किया गया है।</p> <p>दिनांक 25/11/16 को पेश</p> <p><i>(Signature)</i></p>	
<p>6-1-17</p>	<p>श्री केशव प्रसाद के द्वारा दायर की गई याचिका में उक्त याचिका को खारिज करने का हुक्म जारी किया गया है।</p> <p>दिनांक 10/2/17 को पेश हो। सुनवाई</p>	
<p>10/2/17</p>	<p>श्री केशव प्रसाद के द्वारा दायर की गई याचिका में उक्त याचिका को खारिज करने का हुक्म जारी किया गया है।</p> <p>दिनांक 12/2/17 को पेश हो। सुनवाई</p>	
<p>1/3/17</p>	<p>श्री केशव प्रसाद के द्वारा दायर की गई याचिका में उक्त याचिका को खारिज करने का हुक्म जारी किया गया है।</p> <p>दिनांक 5/3/17 को पेश हो। सुनवाई</p>	
<p>2-5-17</p>	<p>प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित लोक अदालत कैंप कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः राज्य लोक अदालत कैंप पंचायत मुख्यालय 02/01/17 पर दिनांक 25-5-17 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)</p>	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

21.12.23 वकील 9181/प्रति अनुपस्थित
 साबिक आदेश
 की पालना में पत्रावली दिनांक 15.1.24 को पेश हो।
 अर्थात् पत्रावली दिनांक 09 की लकी
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

15.1.24 पत्रावली पेश। P.O. साहब अनुपस्थित है।
 अर्थात् पत्रावली दिनांक 12.1.24 को पेश हो।
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

12.2.24

पत्रावली हस्तगत हुई। वकील पक्ष अनुपस्थित। वकील व उनके पक्षीगण को न्यायालय द्वारा 09-09-23 अर्थात् दिनांक 09 को साय 5:00 बजे तक इंतजार किया तथा पुनः भाग्य दिलायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके पक्षीगण उपस्थित नहीं भाये। अतः प्राचा वकील व उनके पक्षीगण की अदम्य बेरवी - अदम्य धाड़िरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शूमार क्षेत्र नम्बर से कम ही बाह्य मामिले तबमील दाखिल हफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०